


राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर
क्रमांक: सीएमआईएस/2017/ दिनांक:

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
सवाईमाधोपुर, राजसमंद, सिरौही, बाडमेर,
जयपुर-प्रथम, अलवर एवं भीलवाड़ा।

विषय – दिनांक 10 अप्रैल 2017 को आयोजित विडियों कॉन्फ्रेंसिंग में अनुपस्थित होने व समय पर नहीं आने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 10 अप्रैल 2017 को आयोजित विडियों कॉन्फ्रेंसिंग में अनुपस्थित होने व समय पर उपस्थित नहीं होने के कारण क्यों नहीं आपके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायें ? पूर्व में भी विडियों कॉन्फ्रेंसिंग एवं मिटिंग में आपको आदेशित किया गया था, कि समस्त विडियों कॉन्फ्रेंसिंग एवं मिटिंग में समय पर उपस्थित होंगे एवं यदि किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पा रहे हो तो उसके लिये अद्योहस्ताक्षरकर्ता या प्रमुख शासन सचिव महोदया से अनुमति प्राप्त करें। इस बाबत आप अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें।



निदेशक (जन स्वा./आरसीएच)
चिकित्सा स्वा0 एवं प0क0 विभाग,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: सीएमआईएस/2017/113

दिनांक: 13/4/2017

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा0/आरसीएच), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग, राज0 जयपुर।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, जोन को भेजकर लेख है कि आपके अधीन समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों को भविष्य में प्रमुख शासन सचिव महोदया एवं निदेशक की अध्यक्षता में होने वाली समस्त विडियों कॉन्फ्रेंसिंग एवं मिटिंग में समय पर उपस्थित होने के लिये पाबंद करें।
4. सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि संबंधित को ईमेल द्वारा अवगत करावे एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
5. रक्षित पत्रावली।


निदेशक (जन स्वा./आरसीएच)
चिकित्सा स्वा0 एवं प0क0 विभाग,
राजस्थान जयपुर।